प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 2707/2009

याचिकाकर्ता: नाथूराम चंद्राकर

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

निर्णय एवं आदेश हेतु 18 जनवरी, 2010 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरकर्ता/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

2010:CGHC:6376

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 2707/2009

याचिकाकर्ता: नाथूराम चंद्राकर

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थित:-

श्री राघवेंद्र प्रधान, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री वाई.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से।

निर्णय एवं आदेश

(18 जनवरी, 2010 को घोषित गया)

1. इस याचिका में छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के उप सचिव द्वारा पारित दिनांक 28.02.2009 के आक्षेपित आदेश (प्रदर्श पी/1) को चुनौती दी गई है, जिसके तहत महासमुंद जिले के सरायपाली में अनुविभागीय अधिकारी, कृषि के पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता को रायपुर में सहायक संचालक, कृषि

2010:CGHC:6376

के पद पर स्थानांतरित किया गया था।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.08.2008 (प्रदर्श पी/1) के आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, कृषि के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता को स्प्रिंकलर शाकंभरी नलकूप के संबंध में कुछ अनियमितताएँ मिलीं और तदनुसार, अधीनस्थ अधिकारियों को दिनांक 21.10.2008, 24.10.2008, 29.11.2008, 16.12.2008, 27.12.2008, 15.01.2009, 21.01.2009, 27.01.2009 और 31.01.2009 को विभिन्न पत्रों द्वारा सूचित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, विभागीय कार्रवाई की गई और कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दंडित किया गया। अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने याचिकाकर्ता की कार्रवाई का विरोध किया और उप संचालक, कृषि, महासमुंद ने ज्ञापन दिनांक 11/12.02.2009 (प्रदर्श पी/4) द्वारा याचिकाकर्ता को कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा दी गई धमकी के संबंध में सूचित किया कि यदि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण नहीं किया गया तो वे कार्य से विरत रहेंगे। हड़ताल की उक्त धमकी के अनुसरण में, याचिकाकर्ता को रायपुर में सहायक संचालक, कृषि के पद पर स्थानांतरित करते हुए, आक्षेपित स्थानांतरण आदेश पारित किया गया। इस प्रकार, यह याचिका प्रस्तुत कि जा रही हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राघवेंद्र प्रधान ने तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश किसी प्रशासनिक आवश्यकता के कारण नहीं, बल्कि अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के दबाव में तथा उनकी हड़ताल पर जाने की धमकी के कारण पारित किया गया था। प्रतिबंध अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने हेतु शक्ति का प्रयोग, शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग है।

4. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान उप-महाधिवक्ता श्री वाई.एस.ठाकुर ने तर्क दिया कि यह प्रशासनिक अनिवार्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है क्योंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति के कारण कार्यालय में अव्यवस्था व्याप्त थी। स्थानांतरण आदेश कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की सहमति से पारित किया गया है। इस प्रकार, किसी भी वैधानिक नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। 11/12.02.2009 (प्रदर्श पी/4) के पत्र से अप्रत्यक्ष अनुमान के अलावा, दुर्भावना के आरोप को स्थापित करने के लिए कोई ठोस कारण या कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को अपने कार्यालय के कर्मचारियों को अवकाश प्रदान न करने की सलाह दी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और उनके साथ संलग्न दलीलों और दस्तावेज़ों का अवलोकन करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता

है कि कार्यालय में अशांति के कारण स्थानांतरण का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है और याचिकाकर्ता के स्थानांतरण के लिए विरोध दर्ज किया गया था।

6. श्री प्रधान का यह तर्क कि आदेश पारित करने वाले संबंधित अधिकारी की क्षमता पर सवाल उठाया गया है, इस साधारण आधार पर खारिज किए जाने योग्य है कि यह आदेश राज्य सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिए बनाए गए कारोबारी नियमों के तहत पारित किया गया था, जिसके अनुसार राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जानी चाहिए। अनुच्छेद 166(3) में विशेष रूप से प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाएंगे। कारोबारी नियमों के तहत, अतिरिक्त सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव और अवर सचिव सहित सचिव राज्यपाल के नाम से आदेश पारित करने के लिए सक्षम हैं। इस मामले में, आक्षेपित स्थानांतरण आदेश राज्यपाल के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार के संबंधित कृषि विभाग के उप सचिव द्वारा पारित किया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा पारित एक उचित आदेश है। इस प्रकार, आक्षेपित स्थानांतरण आदेश एक सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दुर्भावना को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। वर्तमान मामले में, दुर्भावना सिद्ध नहीं होती क्योंकि स्थानांतरण का उद्देश्य याचिकाकर्ता को कोई नुकसान पहुँचाना नहीं था, बल्कि कार्यालय में शांति बनाए रखना था। दुर्भावना के आरोप का कोई ठोस कारण नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरियास इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य[1] मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "14. दुर्भावना का मामला दो तरीकों से स्थापित किया जा सकता है; एक यह कि जिस कार्रवाई पर आरोप लगाया गया है, वह किसी पक्ष के हितों को नुकसान पहुँचाने के विशिष्ट उद्देश्य से की गई है और दूसरा, ऐसी कार्रवाई का उद्देश्य किसी पक्ष की मदद करना है जिसके परिणामस्वरूप दुर्भावना का आरोप लगाने वाले पक्ष को नुकसान पहुँचता है....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम सिया राम और अन्य[2] मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

> "5....किसी सार्वजनिक उपक्रम के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपनी पसंद के किसी एक विशेष स्थान या स्थान पर हमेशा के लिए तैनात रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, क्योंकि स्थानांतरणीय

[1] (2008) 7 एस.सी.सी. 53
[2] (2004) 7 एस.सी.सी. 405

पदों के वर्ग या श्रेणी में नियुक्त किसी विशेष कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण न केवल एक घटना है, बल्कि सेवा की एक शर्त भी है, जो लोकहित और लोक प्रशासन में दक्षता के लिए आवश्यक भी है। जब तक स्थानांतरण के आदेश को दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही का परिणाम नहीं दिखाया जाता है या ऐसे किसी भी स्थानांतरण को प्रतिबंधित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं बताया जाता है, तब तक न्यायालय या न्यायाधिकरण सामान्यतः ऐसे आदेशों में नियमित रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, मानो वे अपीलीय प्राधिकारी हों जो संबंधित सेवा की प्रशासनिक आवश्यकताओं के हित में पारित ऐसे आदेशों के विरुद्ध नियोक्ता/प्रबंधन के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय दे रहे हों। इस न्यायालय ने नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम श्री भगवान मामले में इस स्थिति को उजागर किया था।

6. उपरोक्त स्थिति को हाल ही में भारत संघ बनाम जनार्दन देबनाथ मामले में उजागर किया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की मानो स्थानांतरण विभागीय कार्यवाही से जुड़ा हो। निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए ज़रा भी तथ्य उपलब्ध नहीं थे। कोई दुर्भावना नहीं जताई जा सकती क्योंकि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश पूरी तरह से प्रशासनिक आधार पर और जनहित में था।"

9. मोहम्मद मसूद अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य[3] में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप के दायरे को इस प्रकार संक्षेपित किया:

> "7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत स्थानांतरण की न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजेंद्र रॉय बनाम भारत संघ, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम श्री भगवान, भारतीय स्टेट बैंक बनाम अंजन सान्याल के मामलों में तय किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों का पालन करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विजय पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओंकार नाथ तिवारी बनाम मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के मामलों में यह माना है कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून का सिद्धांत यह है कि स्थानांतरण का आदेश किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों का एक हिस्सा है, जिसमें अनुच्छेद 226 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग में सामान्यतः न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि न्यायालय यह न पाए कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है या सेवा

[3] (2007) 8 एस.सी.सी. 150

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नियम ऐसे स्थानांतरण को प्रतिबंधित करते हैं, या आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं थे।"

10.न्यायालय या न्यायाधिकरण, जो अपीलीय प्राधिकारी हैं, को संबंधित स्थिति की प्रशासनिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की बारीकियों पर विचार करने से बचना चाहिए। (देखें उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम गोवर्धन लाल[4])।

11.याचिकाकर्ता के इस तर्क के संबंध में कि स्थानांतरण आदेश अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के आंदोलन के आधार पर पारित किया गया है, इस विषय पर विधि का सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत है और उसकी कोई जाँच नहीं की गई है, तो ऐसे कर्मचारी का स्थानांतरण जनहित के साथ-साथ प्रशासनिक आवश्यकता में भी किया जा सकता है।इसी तरह के विषय पर, भारत संघ एवं अन्य बनाम जनार्दन देबनाथ एवं अन्य[5] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"14. उत्तरवादीगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, और आरोपित आचरण निश्चित रूप से अनुचित है। क्या कोई दुर्व्यवहार हुआ था, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विभागीय कार्यवाही में विचार किया जा सकता है। स्थानांतरण करने के प्रयोजनों के लिए,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[4] (2004) 11 एस.सी.सी. 402
[5] (2004) 4 एस.सी.सी. 245

2010:CGHC:6376

यह पता लगाने के लिए जाँच कराने का प्रश्न कि क्या किसी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार या आचरण अनुचित था, अनावश्यक है और आवश्यक यह है कि शिकायत की गई घटना के बारे में समकालीन रिपोर्टों पर संबंधित प्राधिकारी प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो और यदि उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत, एक विस्तृत जाँच कराने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, तो जनहित या प्रशासन की आवश्यकताओं के कारण किसी कर्मचारी को स्थानांतरित करने का उद्देश्य शिष्टाचार लागू करना और ईमानदारी सुनिश्चित करना विफल हो जाएगा। यह प्रश्न कि क्या उत्तरवादीगण को किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित किया जा सकता है, नियोक्ता के लिए प्रशासनिक आवश्यकताओं और प्रशासन के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान की सीमा के आधार पर विचार करने का विषय है।"

(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह भी सुस्थापित है कि स्थानांतरण सेवा का एक दायित्व है और जनहित तथा प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष अधिकारी/कर्मचारी को कहाँ तैनात किया जाए, यह निर्णय नियोक्ता को ही लेना है। इस न्यायालय को स्थानांतरण मामले में हस्तक्षेप करने का सीमित अधिकार है, सिवाय उन मामलों के जहाँ दुर्भावनापूर्ण कार्य सिद्ध हो,

स्थानांतरण आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी की अक्षमता हो और नियमों व विनियमों के अनुरूप न हो। याचिकाकर्ता/कर्मचारी को हमेशा के लिए एक ही स्थान पर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सेवा नियमों के प्रावधानों के तहत, नियोक्ता को जनहित और प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी कर्मचारी को किसी विशेष स्थान पर तैनात करने की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। (मध्य प्रदेश राज्य व अन्य बनाम एस.एस. कौरव व अन्य)[6]।

13.ई.पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य[7] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "88......एक आधुनिक राज्य जिन विशाल और विविध गतिविधियों में संलग्न है, उनमें कुछ ऐसे पद अवश्य होते हैं जिनके लिए कार्य के समुचित निर्वहन के लिए उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता और विशिष्ट अनुभव की आवश्यकता होती है। शासन के लिए ऐसे विशिष्ट पदों के लिए उपयुक्त अधिकारी ढूँढना हमेशा एक कठिन समस्या होती है। आमतौर पर ऐसे विशेष पदों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अधिक अधिकारी नहीं होते हैं और सरकार के पास विकल्प बहुत सीमित होते हैं और यह विकल्प और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि इनमें से कुछ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[6] (1995) 3 एस.सी.सी. 270
[7] (1974) 4 एस.सी.सी. 3

पद, महत्वपूर्ण और भारी ज़िम्मेदारियों वाले होते हुए भी, व्यापक कार्यकारी शक्तियाँ नहीं रखते हैं और इसलिए, अधिकारी आमतौर पर उन पदों पर स्थानांतरित होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, सरकार को प्रशासन के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम संभव विकल्प चुनना होता है। जब इस विकल्प का प्रयोग करते हुए, सरकार किसी अधिकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है, तो अधिकारी असंतुष्ट हो सकता है क्योंकि नया पद उसे उतनी शक्तियाँ नहीं देता जितना उसे पुराने पद पर रहते हुए प्राप्त थीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्थानांतरण मनमाना है। जब तक स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण किया जाता है और किसी उच्च पद से निम्न पद पर किसी कनिष्ठ को उच्च पद के लिए भेदभावपूर्ण वरीयता देते हुए नहीं किया जाता है, तब तक यह अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत वैध होगा और इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।"

14.शिल्पी बोस (श्रीमती) एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य[8] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"4. हमारी राय में, न्यायालयों को जनहित और प्रशासनिक कारणों से

[8] (1991) सप. (2) एस.सी.सी. 659

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:6376

किए गए स्थानांतरण आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि स्थानांतरण आदेश किसी अनिवार्य वैधानिक नियम का उल्लंघन करके या दुर्भावना के आधार पर न किए गए हों। स्थानांतरणीय पद धारण करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी को एक स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार नहीं है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश उसके किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। यदि स्थानांतरण आदेश कार्यकारी निर्देशों या आदेशों का उल्लंघन करते हुए पारित किया जाता है, तो भी न्यायालयों को सामान्यतः आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभावित पक्ष को विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। यदि न्यायालय सरकार और उसके अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले दिन-प्रतिदिन के स्थानांतरण आदेशों में हस्तक्षेप करना जारी रखेंगे तो प्रशासन में पूर्ण अराजकता फैल जाएगी जो जनहित के लिए अनुकूल नहीं होगी।"

15.भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बनाम राजीव रतन पांडे एवं अन्य[9] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "किसी सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण के

[9] (2009) 8 एस.सी.सी. 337

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा सीमित होता है और उच्च न्यायालय स्थानांतरण के आदेश में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वह अंतरिम चरण में हो या अंतिम सुनवाई में। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायालय स्थानांतरण के मामले में अपने निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं।"

16.जहाँ तक याचिकाकर्ता का यह तर्क कि प्रतिबंध अवधि के दौरान उसका स्थानांतरण किया गया है, उसे भी अस्वीकार किया जाना चाहिए। मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद एवं अन्य बनाम जी. रत्नम एवं अन्य[10] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "20. यह सर्वविदित है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को कुछ परिस्थितियों में कार्य करने के तरीके के बारे में प्रशासनिक निर्देश दे सकती है; लेकिन इससे ऐसे निर्देश वैधानिक नियम नहीं बन जाएँगे जो कुछ परिस्थितियों में न्यायोचित हों। ऐसे कार्यकारी निर्देशों को वैधानिक नियम का बल प्राप्त हो, इसके लिए यह दर्शाया जाना आवश्यक है कि ये या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार को किसी क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत या संविधान के किसी प्रावधान के तहत जारी किए गए हैं। इसलिए, भले ही ऐसे कार्यकारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[10] (2007) 8 एस.सी.सी. 212

निर्देशों का कोई उल्लंघन हुआ हो, लेकिन इससे किसी भी आम जनता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सरकार के खिलाफ याचिका प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं मिलता।"

17.अन्यथा भी, उपरोक्त किसी अन्य अनुमेय विधिक आधार पर, जो कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप का कारण बनता हो, आक्षेपित स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप नही किया जा सकता।

18.मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Shubhangi Sahu